संख्या- 8-2025-डीएफए- 1081800-38-7099-2740-2019

प्रेषक,

अमनदीप डुली,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 25-04-2025

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में पंजीकरण के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-137/अड़तीस-7-2022 -63नरेगा /2009, दिनांक 21-03-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में पंजीकरण के संबध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में प्राविधानित व्यवस्था के अतिरिक्त निम्नवत व्यवस्था सम्मिलित की जाती है-

"मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े पदाधिकारी/कर्मी द्वारा वेण्डर के रूप में सामग्री आपूर्ति का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो ऐसी आपूर्ति को शून्य करार देते हुए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा विकास खण्ड स्तर पर इसका उत्तरदायित्व संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी का एवं जनपद स्तर पर उपायुक्त, मनरेगा/प्रभारी उपायुक्त

मनरेगा का होगा।''

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। अतः शासनादेश दिनांक 21-03-2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

Signed by Duli Amandeep
Date: 25-04-2025 15:36:06
(अमनदीप डुली)
विशेष सचिव।

संख्या-8-2025-डीएफए-1081800-38-7099-2740-2019तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमनदीप डुली)
विशेष सचिव।